लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर (उधमसिंह नगर) के माह 04/2012 से 08/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा सर्व श्री आर॰एन॰ यादव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री डी॰के॰मट्टू, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी ,एवं श्री अंकित पाण्डेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 31/08/2016 से 05/09/2016 तक नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत संपादित लेखापरीक्षा का निरीक्षण प्रतिवेदन।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर (उधमसिंह नगर) द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहारादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावना:-

1. इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 08/2016 तक के लेखाभिलेखों की समान्यतया जांच की गयी।

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारीयों ने कार्यालय का कार्यभार संभाले रखा।

1- डा॰ घनश्याम वर्मा 01/04/12 से 21/10/12 तक
2- श्री पी. के. सिंह 22/10/12 से 03/09/14 तक
3- श्री जगदीश चन्द्र आर्य 04/09/14 से 04/05/15 तक
4- श्री अमित कुमार 05/05/15 से वर्तमान तक

5- पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति मिम्नवत थी:-

dze la[;k	ys[kkijh{kk fujh{k.k izfrosnu la0@o"kZ	vfuLrkfjr izLrj	
		Hkkx&nks ^v*	Hkkx&nks ^c*
	इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा		

9. अप्रस्तुत अभिलेख:- शून्य
10. सतत अनियमिततायेँ:- शून्य

11. संप्रेषित अवधि में मुख्य लेखा शीर्षों में कुल आवंटन एवं व्यय ।

o"kZ	eq[; ys[kk'kh"kZ	dqy vkoaVu ¼` yk[k esa½	dqy O;; ¼` yk[k esa½
2012-13	2401	187.19	171.33
2013-14	2401	198.55	188.86
2014-15	2401	168.90	168.90

2015-16	2401	198.85	198.85

भाग-2(ब)

प्रस्तर:1 उपखनिज/पत्थर (Stone) पर देय रायल्टी की कटौती नहीं कये जाने के परिणामस्वरूप ` 7.37 लाख राजस्व की हानि।

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-2 संख्याः 162/**VII-11-13/24-ख/2007** दिनांक 18 जनवरी 2013 अधिसूचना का स्तम्भ-1 में उल्लिखित रायल्टी दरों को स्तम्भ-2 के अनुसार प्रतिस्थापित/संशोधित किया गया था तथा यह स्पष्पटतः उल्लिखित था कि यह इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त/लागू होगी। अधिसूचनानुसार उपखनिजों बजरी (**Sand**) की रायल्टी दर ` 90/- प्रतिघन मी. तथा नदीं तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/वोल्डर्स (**Stone**) पर ` 80/- प्रतिघन मी. की दर से रायल्टी की कटौती कर संबंधित उपखनिज राजस्व शीर्ष में जमा किया जाना था।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रूद्रपर (उधमसिंह नगर) के अभिलेखों की नमूना जांच (09/2016) में पाया गया कि निष्पादित कराये गये कार्यों में प्रयुक्त उपखनिज/पत्थर (**Stone**)के लिए रायल्टी की कटौती भुगतान बिलों से नहीं की गयी थी। जिससे कार्य में प्रयुक्त पत्थरों (**Stone**) की मात्रा 9209.32 घनमी. के लिए देय रायल्टी की कटौती नहीं किये जाने के कारण धनराशि ` 7.37 लाख (अनुलग्नकः (क) उपखनिज/पत्थर (**Stone**)पर देय रायल्टी विवरण के अनुसार) संबंधित उपखजिन राजस्व शीर्ष में जमा नहीं की जा सकी, परिणामस्वरूप ` 7.37 लाख के शासकीय राजस्व की हानि पहुचाई गयी।

उक्त के संदर्भ में इंगित किये जाने पर तथ्यों की पुष्टि करते हुए ईकाई ने अवगत कराया कि ठेकेदारों द्वारा रायल्टी की रसीद उपलब्ध करा दी गई है, जिस कारण रायल्टी की कटौती नहीं की गई है। भविष्य में रायल्टी की रसीदें ठेकेदार के बिल के साथ संलग्न कर दी जायेगी।

ईकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ठेकेदारों दवारा पत्थरों के लिए रायल्टी जमा किये जाने संबंधी भुगतान बिलों के साथ न तो रवन्ने (रसीदे) लगे थे, और न ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये जा सके तथा रायल्टी जमा किये जाने संबंधी ऐसा कोई सत्यापित विवरण भी संलग्न नहीं था, जिससे स्पष्ट था कि उक्त के लिए रायल्टी धनराशि ` 7.37 लाख जमा की गयी थी।

इस प्रकार कार्य में प्रयुक्त उपखनिज/पत्थर (**Stone)** पर देय रायल्टी की भुगतान बिलों से कटौती नहीं किये जाने के कारण ` 7.37 लाख राजस्व की हानि का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः1- ` 5,60,650/- की धनराशि का अवरोधन।

कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) के **Pass Book** एवं **Cash Books** से संबंधित लेखा अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2005-06 से वर्ष 2016-17 अब तक विभाग द्वारा जो **Pass Book** में जो **interest** की रकम ` 5,60,650/- जो राजकीय कोषागार में जमा होना चाहिए था नहीं हुआ है।

विभाग से पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि बैंक में जमा ब्याज कई योजनाओं का है। ब्याज खर्च करने हेतु उच्चाधिकारियों/निदेशालय से किसी प्रकार के निर्देश प्राप्त नहीं हुए है। इस संबंध में भविष्य में पत्राचार कर जमा ब्याज का खर्च सुनिश्चित किया जाएगा।

अतः प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित **कार्यालय कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, रुद्रपुर (उधमसिंह नगर)** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II